"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]	रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मई 2003—वैशाख 26, शक 1925

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2003

क्रमांक 1060/2002/साप्रवि/1/2.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 15 के तहत श्री राजकमल, भा.प्र.से. (छ.ग. 1994), विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, 12वां वित्त आयोग, वित्त एवं योजना विभाग को दिनांक 16-6-2003 से दिनांक 15-6-2006 तक का असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री राजकमल को कोई वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजकमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2002

क्रमांक 2054/1460/साप्रवि/2002/1/2.—श्री एम. आर. ठाकुर, तत्कालीन कलेक्टर, कवर्धा को दिनांक 7-1-2002 से 14-6-2002 (159 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15-6-2002 एवं 16-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर को संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. श्री ठाकुर को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्रमांक 936/915/2003/साप्रवि/2/लीव.—श्री ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव (वित्त) को दिनांक 15-5-2003 से 20-6-2003 तक (कुल 37 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14-5-2003 एवं 21, 22-6-2003 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश काल में श्री विजयवर्गीय को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री विजयवर्गीय को अपर मुख्य सचिव (वित्त) के पद पर अस्थायी रूप से पुनः पदस्थ किया जाता है.

5. श्री विजयवर्गीय अपर मुख्य सचिव (वित्त) के अवकाश अवधि में उनका कार्य डॉ. इंदिरा मिश्रा, अपर मुख्य सचिव अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगी.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्रमांक 939/671/2003/साप्रवि/2/लीव.—श्री एस. के. केहरि, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 21-1-2003 से 11-3-2003 तक (कुल 50 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री केहरि को अवकाश से लौटने पर संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पुनः अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. अवकाश काल में श्री केहरि को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 1025/892/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री मनोहर पांडेय, संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 19-5-2003 से 31-5-2003 तक (13 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही 16, 17, 18-5-2003 एवं अंत में 1-6-2003 का शासकीय अवकाश में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पांडेय को आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री पांडेय को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पांडेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2003

क्रमांक 1038/896/2003/साप्रवि/1/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 793/673/साप्रवि/1/2, दिनांक 1-4-2003 द्वारा श्री सी. के. खेतान, तत्कालीन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 21-4-2003 से 30-4-2003 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2003

क्रमांक 1043/882/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री उजागर सिंह, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 16-4-2003 से 17-4-2003 तक (2 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11-4-2003 से 15-4-2003 एवं 18-4-2003 से 20-4-2003 का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री उजागर सिंह को अवकाश से लौटने पर सचिव, छ. ग. शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर अस्थायी रूप से पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. श्री उजागर सिंह को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. श्री उजागर सिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2003

क्रमांक 1054/982/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री आर. सी. सिन्हा, सचिव, छ. ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर को दिनांक 3-5-2003 से 13-5-2003 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14-5-2003 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिन्हा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, उच्च शिक्षा विभाग में पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. श्री सिन्हा यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. अवकाश की अवधि में श्री सिन्हा को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

5. श्री सिन्हा के अवकाश अवधि में सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का कार्य श्री एस. पी. त्रिवेदी, विशेष सचिव, वित्त एवं योजना विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2003

क्रमांक 1056/950/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री अजयसिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 12-5-2003 से 24-5-2003 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10, 11-5-2003 एवं 25-5-2003 का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश काल में श्री अजयसिंह, सचिव को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सिंह यदि अवकाश पर नहीं जाते तो सचिव, ऊर्जा विभाग में पद पर कार्यरत रहते.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अजयसिंह को सचिव, ऊर्जा विभाग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पुनः पदस्थ किया जाता है.

5. श्री अजयसिंह, सचिव, ऊर्जा एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अवकाश अवधि में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्य श्री बाबूलाल अग्रवाल, विशेष सचिव अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे. साथ ही ऊर्जा विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग का कार्य श्री सरजियस मिंज, सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-24/गृह/दो/2003.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र "स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)

निम्नस्तर

कलेक्टर रायपुर

1.	श्री देव कुमार सोनी	उप अंकेक्षक

कलेक्टर बिलासपुर

2.	श्रीमती शांता सरोज एक्का	पर्यवेक्षक

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-22/गृह/दो/2003.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र ''सामान्य विधि प्रश्नपत्र-2'' (पुस्तकों सहित) विषयक में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)

उच्चस्तर

कलेक्टर रायपुर

1.	श्री उमेश कुमार सिंह	वन क्षेत्रपाल
2.	श्री यशवंत कुमार डहरिया	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-41/गृह/दो/2003.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 31 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र ''लेखा द्वितीय'' (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)

कलेक्टर रायपुर

1.	श्री हिरेसिंह उइके	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-43/गृह/दो/2003.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 31 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र ''प्रक्रिया तथा लेखा-3'' (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)

कलेक्टर रायपुर

1.	श्री यशवंत कुमार डहरिया	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-7/गृह/दो/2003.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र ''समाज कल्याण'' (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)

सश्रेय

कलेक्टर रायपुर

1.	श्री बलराम मोरे	विकासखंड अधिकारी
2.	श्री दिलीप कुमार अग्रवाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(1)	(2)	(3)
3.	श्रीमती ललिता ध्रुव	पर्यवेक्षक

कलेक्टर बिलासपुर

4.	श्री आनन्द प्रकाश किसपोट्टा	जिला महिला बाल विकास अधिकारी.

उच्चस्तर

कलेक्टर रायपुर

1.	श्रीमती राजकुमारी माग्रे	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.

कलेक्टर बिलासपुर

2.	श्रीमती अलबिना कुजूर	परियोजना अधिकारी

निम्नस्तर

कलेक्टर रायपुर

1.	श्रीमती उषा मिश्रा	पर्यवेक्षक

कलेक्टर बिलासपुर

2.	श्रीमती फलदिनायां मिंज	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
3.	श्रीमती हिरमनी	पर्यवेक्षक
4.	श्रीमती मोहिनी सिन्हा	पर्यवेक्षक
5.	श्रीमती उमाकान्ति जायसवाल	पर्यवेक्षक

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-15/गृह/दो/2003.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र ''पुस्तपालन तथा कर निर्धारण'' (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)

उच्चस्तर

कलेक्टर रायपुर

1.	श्री प्रेमसिंह विंध्यराज	वाणिज्यिक कर अधिकारी

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-3/गृह/दो/2003.—उत्पाद शुल्क (आबकारी) विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र ''विधि तथा प्रक्रिया'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)

उच्चस्तर

कलेक्टर रायपुर

1.	श्री अल्ताफ करीम खान	आबकारी उप निरीक्षक

कलेक्टर बिलासपुर

2.	श्री नितिन शुक्ला	आबकारी उप निरीक्षक
3.	श्री मुकेश अग्रवाल	आबकारी उप निरीक्षक
4.	कु. नीलिमा शर्मा	आबकारी उप निरीक्षक

निम्नस्तर

कलेक्टर रायपुर

1.	श्री योगेश्वर शुक्ला	आबकारी उप निरीक्षक

कलेक्टर बिलासपुर

2.	रतन सिंह नागेश	आबकारी उप निरीक्षक
3.	श्री भूपत सिंह राठौर	आबकारी उप निरीक्षक

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-52/गृह/दो/2003.—सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 31-1-2003 को प्रश्नपत्र "पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	कलेक्टर बिलासपुर	
1.	श्री चन्द्रप्रकाश मनहर	विकासखण्ड अधिकारी प्रति. सहायक परियोजना अधिकारी
	निम्नस्तर	
	कलेक्टर रायपुर	
1.	श्रीमती उषा गेंदले	नायब तहसीलदार
	कलेक्टर बस्तर	
2.	कु. सतरूपा साहू	राजस्व निरीक्षक

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-9-14/गृह/दो/2003.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जनवरी, 2003 को प्रश्नपत्र "समाज शिक्षा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	कलेक्टर बिलासपुर	
1.	डॉ. पंकज वर्मा	व्यावसायिक चिकित्सक
2.	श्री देव कुमार सोनी	उप अंकेक्षक (सश्रेय)
	कलेक्टर बिलासपुर	
3.	श्रीमती उमाकान्ति जायसवाल	पर्यवेक्षक
4.	श्री बी. आर. नेताम	परियोजना अधिकारी
	निम्नस्तर	
	कलेक्टर बिलासपुर	
1.	श्रीमती सविता गुप्ता	पर्यवेक्षक
2.	श्रीमती गीता गुप्ता	पर्यवेक्षक
3.	श्रीमती विजय लक्ष्मी मिश्रा	पर्यवेक्षक
4.	श्रीमती हिरामनी	पर्यवेक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2003

क्रमांक 669/213/03/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमि. सिलतरा, रायपुर के बॉयलर क्रमांक एम. आर./8587 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 1-2-2003 से दिनांक 30-4-2003 तक के लिए तीन माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. राघवन, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2003

क्रमांक 147/1843/02/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. बाल्को केप्टिव पावर प्लांट, जमनीपाली, कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम. पी./3694 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 24-7-2002 से दिनांक 9-8-2002 तक के लिए की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. पाण्डे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2003

क्रमांक 817/34/2003/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा (पूर्व) कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम. पी./3224 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 9-1-2003 से दिनांक 8-4-2003 तक के लिए तीन माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महिपाल सिंह धुर्वे, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक 845/456/2003/11/ना. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि. यूनिट क्र. 11, रायगढ़ के बॉयलर क्रमांक सी. जी./20 एवं सी. जी./21 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 15-3-2003 से दिनांक 31-3-2003 तक के लिए 17 दिन की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से मैल निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी. एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/151.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	भुतहा प.ह.नं. 4	1.304	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा	भुतहा ब्रांच सब माइनर निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/152.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	भुतहा प.ह.नं. 4	0.457	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	भुतहा ब्रांच सब माइनर-2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/153.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अमेराडीह प.ह.नं. 4	0.234	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	भुतहा ब्रांच सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/154.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सतगढ़ प.ह.नं. 03	0.109	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग 4, डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग.	सतगढ़ सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/155.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	भठोरा प.ह.नं. 3	0.291	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, 4, डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	सतगढ़ सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/156.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	छपोरा प.ह.नं. 13	1.543	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	अचरीतपाली सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/157.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	डोमा प.ह.नं. 13	0.817	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग 4, डभरा.	डोमा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/158.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	छपोरा प.ह.नं. 13	0.093	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग 4, डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	छपोरा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/159.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	छपोरा प.ह.नं. 13	0.594	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ. ग.	डोमा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/160.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	पिहरीद प.ह.नं. 4	0.668	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग 4, डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	बड़े सीपत सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/161.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बरतुंगा प.ह.नं. 5	0.650	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	बड़े मुड़पार सब डि. वाय. सिंघरा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/162.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बरतुंगा प.ह.नं. 5	1.412	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	सिंघरा वितरक नहर, बरतुंगा ब्रान्च माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/163.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर प.ह.नं. 9	1.117	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता (हसदेव) सिंचाई परियोजना.	रतापाली सब डि. वाय नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/164.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सिरियागढ़ प.ह.नं. 9	0.444	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	सिंघरा वितरक नहर, झनकपुर ब्रान्च माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/165.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सिरियागढ़ प.ह.नं. 9	0.292	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिंघरा वितरक नहर, सूखापाली ब्रांच माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/166.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर प.ह.नं. 9	0.086	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना स. क्र. 4, डभरा.	कुसुमझर माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/167.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	झनकपुर प.ह.नं. 9	1.198	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग-4, डभरा.	झनकपुर ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/168.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसमुल प.ह.नं. 5	5.462	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	बड़े मुड़पार, सब डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/169.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बरतुंगा प.ह.नं. 5	4.695	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता (हसदेव) बांगो सिंचाई परियोजना, संभाग क्र.4, डभरा.	बरतुंगा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/170.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खैरा प.ह.नं. 6	1.283	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता (हसदेव) बांगो सिंचाई, परियोजना सं. क्र. 4, डभरा.	खैरा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/171.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी प.ह.नं. 6	4.304	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	सिंघरा वितरक नहर, फरसवानी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/172.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा प.ह.नं. 6	0.121	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	सिंघरा वितरक नहर, कौडिया माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/173.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सपिया प.ह.नं. 9	1.527	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	सिंघरा वितरक नहर, सपिया माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/174.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	तुलसीडीह प.ह.नं. 10	0.720	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	सिंघरा वितरक नहर, कुसमुल माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/175.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खोंधरा	1.905	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग-4, डभरा.	सिंघरा वितरक नहर रतापाली सब डि. वाय.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/176.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	तेन्दुमुड़ी प.ह.नं. 8	0.409	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	सिंघरा वितरक नहर, सुखापाली माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/177.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा	1.446	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा	बड़े मुड़पार सब डि. वाय.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/178.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खोंधर	0.866	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	सिरियागढ़ माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/179.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खोंधरा प.ह.नं. 8	1.393	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	खोंधर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/180.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खुरघटी प.ह.नं. 9	0.558	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	खुरघटी ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/181.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	तेन्दुमुड़ी प.ह.नं. 8	1.697	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	सिंघरा वितरक नहर, रतापाली सब डि. वाय.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/182.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	छुहीपाली प.ह.नं.11	0.278	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	सिंघरा वितरक नहर ब्रांच माइनर 2, ठनगन माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/183.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	वोकरेल प.ह.नं. 9	1.506	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	कुरदा वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/184.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा प.ह.नं. 10	1.785	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	डभरा ब्रांच माइनर 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/185.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा प.ह.नं. 10	1.011	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	भेड़ीकोना माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/186.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा प.ह.नं. 10	2.265	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	डभरा माइनर 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/187.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा प.ह.नं.10	3.147	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा	ठनगन ब्रांच माइनर 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/188.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	नवापारा प.ह.नं. 10	1.536	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	नवापारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/189.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन प.ह.नं. 8	1.954	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	छुहीपाली सब डी. वाय. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/190.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखापाली प.ह.नं. 8	2.728	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	सुखापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/191.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कंवलाझर प.ह.नं. 9	3.363	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	कंवलाझर माइनर आफ सुखा-पाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/192.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कंवलाकर प.ह.नं. 9	0.715	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	कंवलाझर ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/193.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सिंघरा प.ह.नं. 1	3.215	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	सिंघरा वितरक नहर से आर. डी. निकलने वाली देवरघटा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/194.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली प.ह.नं. 6	2.712	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	कोड़िया माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/195.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा प.ह.नं. 5	6.439	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	सुखदा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/196.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अड़भार प.ह.नं. 8	0.777	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	कटारी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/197.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अड़भार प.ह.नं. 8	4.796	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक 4 डभरा.	भागोडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/198.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	औरदा प.ह.नं. 2	0.930	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	कटारी माइनर/ब्रांच माइनर-8 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/199.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सोनादुला प.ह.नं. 2	1.101	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कारीगांव माइनर कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/200.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बुंदेली प.ह.नं. 8	5.334	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	करारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/201.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं ;—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	औरदा प.ह.नं. 2	1.566	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	भागोडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/202.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	दर्री प.ह.नं. 17	5.880	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/203.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कंवली प.ह.नं. 2	4.151	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	नवापारा उप शाखा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/204.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सकरी प.ह.नं. 7	4.188	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	करारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/205.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	पिकरीपार प.ह.नं. 2	0.377	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	करारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/206.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सरायपाली प.ह.नं. 4	6.489	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	धुरकोट उप वितरक/रेडा माइनर कोमो माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/207.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	कटारी प.ह.नं. 2	2.468	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा	कटारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/208.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बरभाठा प.ह.नं. 16	2.283	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	बरभाठा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/209.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	निमोही प.ह.नं. 1	2.768	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिधी तराई माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/210.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बुकरेल प.ह.नं. 9	2.033	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	डुमार भाटा उप वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/211.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	छतौना प.ह.नं. 9	3.248	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	डुमार भाटा उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/212.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अमेराडीह प.ह.नं. 4	0.747	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	अमेराडीह सब माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/213.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अमानदुला	1.009	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा	अमानदुला सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/214.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	पिहरीद प.ह.नं. 4	5.247	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	अमेरा सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/215.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	कटारी	0.756	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा	करीगांव माइनर/करदा वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/216.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	करिगांव प.ह.नं. 5	3.376	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	करीगांव कुरदा वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/217.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	चन्देलाडीह प.ह.नं. 2	0.950	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा	करीगांव कुरदा वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/218.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सुलोनी प.ह.नं. 2	1.562	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	कटेगांव कुरदा वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/219.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	चंदेलाडीह प.ह.नं. 2	3.333	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कटेगांव माइनर/वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/220.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	ढिमानी प.ह.नं. 7	1.777	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	भागोडीह माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/221.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	धौराभाठ प.ह.नं. 12	0.534	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	रेड़ा माइनर/1आर, 2 आर एवं आर सी एच नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/222.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	ढेकुनाभाठा प.ह.नं. 4	1.469	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	(1) खैरामुड़ा माइनर (2) गिरगिरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/223.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना प.ह.नं. 17	3.010	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो उप नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	गिरगिरा/ब्रांच माइनर 4 आर 1 आर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/224.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बसन्तपुर प.ह.नं. 10	1.051	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	खुरघुटी माइनर/खुरघुटी ब्रांच माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/225.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला प.ह.नं. 6	2.394	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	ब्रांच माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/226.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन प.ह.नं. 8	1.012	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	रतापाली सब डि. वाय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/227.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बसन्तपुर प.ह.नं. 10	1.298	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	डभरा माइनर 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/228.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सिरियागढ़ प.ह.नं. 5	3.663	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	सिरियागढ़ माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/229.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	तेन्दुमुड़ी प.ह.नं. 8	0.653	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सुखापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/230.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खोंधरा प.ह.नं. 8	1.551	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	टेलमाइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/231.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कांसा प.ह.नं. 6	5.333	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कांसा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/232.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गिरगिरा प.ह.नं. 18	7.778	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	धुरकोट उप वितरक गिरगिरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/233.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अड़भार प.ह.नं. 8	1.867	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4.	बड़े देवगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/234.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	आडील प.ह.नं. 7	0.454	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	भागोडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/235.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	अकोल तमोरा प.ह.नं. 4	6.029	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	धुरकोट वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/236.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	नवापारा प.ह.नं. 12	1.942	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	नवापारा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/237.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कोटमी प.ह.नं. 17	8.416	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/238.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कोटमी प.ह.नं. 17	8.661	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	धुरकोट वितरक

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/239.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बाघौव प.ह.नं. 17	12.474	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	(1) गिरगीरा माइनर (2) 2 एल ब्रांच माइनर (3) 2 एल/1 आर ब्रांच माइनर. (4) 3 आर ब्रांच माइनर (5) 1 आर ब्रांच माइन नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/240.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	पिहरीद प.ह.नं. 4	2.336	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	भुतहा ब्रांच सब मायनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/241.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा प.ह.नं. 16	3.205	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4.	धुरकोट उपवितरक/रेड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/242.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सिंघरा प.ह.नं. 11	3.723	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	फरसवानी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/243.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	परसाडीह प.ह.नं. 11	0.943	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	फरसवानी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/244.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौद	खेमड़ा प.ह.नं. 12	1.701	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	खेमड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/245.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	देवरघटा प.ह.नं. 1	4.051	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	बड़े मुड़पार सब डी. वाय. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/246.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बेल्हाभाठा प.ह.नं. 12	1.248	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	कुनाईडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/247.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सरियाडीह प.ह.नं. 5	2.123	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	बड़े मुड़पार माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/248.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	ओड़ेकेरा प.ह.नं. 9	2.246	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	धुरकोट वितरक/सिंघातराई माइनर/सराईपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/249.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	तुंडरी प.ह.नं. 2	8.436	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र.4.	नवापारा उप साखा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/250.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कंवली प.ह.नं. 2	8..639	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	नवापारा उप शाखा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/251.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद प.ह.नं. 6	1.691	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	डायरेक्ट कटौद मायनर नं. 4

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/252.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेला प.ह.नं. 6	1.293	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	चुरतेली डायरेक्ट माइनर नं. 5 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/253.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सपिया प.ह.नं. 9	0.885	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	फगुरम डाइरेक्ट माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/254.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी प.ह.नं. 6	0.435	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	सिघरा वितरक नहर ब्रांच खैरा माइनर ब्रांच माइनर नं. 1

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/255.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	फगुरम प.ह.नं. 9	1.650	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	फगुरम माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/256.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य.शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	फगुरम प.ह.नं. 9	0.489	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा	सिघरा वितरक नहर कुधरी माइनर नं. 2.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/257.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा प.ह.नं. 10	1.221	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	नवापारा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/258.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद प.ह.नं. 6	3.328	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	सिंघरा वितरक नहर ब्रांच माइनर नं. 1.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/259.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा प.ह.नं. 10	0.549	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	खुरघटी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/260.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	दलालपाली प.ह.नं. 11	2.339	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	दलालपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/261.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सपिया प.ह.नं. 9	0.449	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिघरा वितरक नहर फगुरम ब्रांच माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/262.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन प.ह.नं. 8	0.590	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	ब्रांच माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/263.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखापाली प.ह.नं. 8	1.213	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कंवलाझर ब्रांच माइनर और सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/264.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सुकदा प.ह.नं. 5	0.222	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	डायरेक्ट कटौत माइनर नं. 4 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/265.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कौड़िया प.ह.नं. 7	0.850	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	खैरा ब्रांच माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/266.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांटा प.ह.नं. 8	1.331	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	फरसवानी सब डी. वाय.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/267.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी प.ह.नं. 7	2.320	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	फरसवानी सब डी. माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/268.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	अरसवानी प.ह.नं. 7	0.805	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	अरसवानी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/269.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभाटा प.ह.नं. 8	2.445	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	रामभाटा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/270.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभाठा प.ह.नं. 8	3.745	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा	टेल माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/271.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन प.ह.नं. 8	0.364	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	ब्रांच माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/272.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सिंघरा प.ह.नं. 11	0.953	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	बड़े कोट माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/273.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर--चांपा	डभरा	सुखापाली प.ह.नं. 8	0.613	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभार, क्र. 4, डभरा.	सुखापाली ब्रांच माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/274.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा प.ह.नं.10	7.039	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता (हसदेव) बांगो, परियोजना, नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	छुहीपाली सब डि. वाय.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/275.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	शेरो प.ह.नं. 10	4.053	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिघरा वितरक नहर..

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/276.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बोड़ा सागर प.ह.नं. 10	2.526	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	सिंघरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/277.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद प.ह.नं. 8	3.251	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिंघरा वितरक नहर ब्रांच माइनर नं. 1 आफ कोसा मायनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/278.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध मे लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	टाटा प.ह.नं. 9	1.199	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4.	कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/279.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बीरभाठा प.ह.नं. 5	0.274	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/280.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	कलमी प.ह.नं. 5	1.632	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/281.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	छतौना प.ह.नं. 9	0.784	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कुरदा वितरक नहर निर्माण. हेतु (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/282.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बड़े सीपत प.ह.नं. 4	0.629	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा	कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/283.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	पोता प.ह.नं. 6	4.309	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक 4.	कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/284.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1934 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	छोटे सीपत प.ह.नं. 5	2.546	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/285.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	खरताल प.ह.नं. 9	1.551	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक-4.	कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/172.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	चमरवाह	2.740	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	खरसिया शाखा नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/414.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	तुंडरी	11.840	कार्यपालन यंत्री	नवापारा उपशाखा वितरिक.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/415.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सिंघरा प.ह.नं. 11	1.798	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4.	बड़े मुड़पार सब. डि. वाय

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/416.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	छोटे कोट प.ह.नं.11	0.800	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4.	बड़े मुड़पार सब डि. वाय.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/417.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कवारीपाली	8.493	कार्यपालन यंत्री,	रेडा माइनर, 2 आर. ब्रांच माइनर. 3. एक ब्रांच माइनर 4. आर. ब्रांच माइनर. 5. आर. ब्रांच माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	धौराभांठा प.ह.नं. 12	2.080	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	रेड़ा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पनझर प.ह.नं. 5 रा. नि. मं. किरोड़ीमल नगर	1.793	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	रानीगुड़ा माइनर के सब माइनर के लिये भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरदापुटी प.ह.नं. 7 रा. नि. मं. किरोड़ीमल नगर	0.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	गोपालपुर वितरक नहर कांटा-हरदी माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कुलबा प.ह.नं. 7 रा. नि. मं. किरोड़ीमल नगर	0.62	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	गोपालपुर वितरक नहर बिलाईगढ़ माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	नवागांव प.ह.नं. 7 रा. नि. मं. किरोड़ीमल नगर	1.53	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	गोपालपुर वितरक नहर बसंतपुर माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बसंतपुर प.ह.नं. 7 रा. नि. मं. किरोड़ीमल नगर	0.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	गोपालपुर वितरक नहर बसंतपुर माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सहसपुरी प.ह.नं. 7 रा. नि. मं. करोड़ीमल नगर	2.61	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़	गोपालपुर वितरक नहर सहसपुरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यंह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	सलिहाभांठा प.ह.नं. 32 रा. नि. मं. तमनार	1.773	सचिव, कृषि उपज मंडी समिति घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	तमनार उप मंडी प्रांगण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	परसकोल प.ह.नं. 7	2.434	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	औरदा प.ह.नं. 9	4.011	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	तुरेकेला प.ह.नं. 9	3.067	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	उल्दा प.ह.नं. 8	1.599	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	पलगढ़ा प.ह.नं. 8	1.329	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बरगढ़ प.ह.नं. 8	0.652	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	लोधिया	0.303	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बोतल्दा	1.091	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	तुसेकेला	4.197	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं. लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कुनकुनी	1.085	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 85/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	तेलीकोट प. ह. नं. 11	1.830	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं. लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 86/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	आड़ाझर प. ह. नं. 12	2.487	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 87/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बोतल्दा प. ह. नं. 7	1.424	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं. लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 88/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सरवानी प. ह. नं. 8	0.207	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु..

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 89/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बाम्हनपाली प. ह. नं. 11	5.057	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं. लघु नहर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 90/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सूती प. ह. नं. 7	5.818	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 91/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	रजघटा प. ह. नं. 13	3.556	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं. लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक 137/अ-82/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	पंडरिया	नवागांवकला	0.94	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन, इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कवर्धा.	प्र.मं.ग्रा.स. यो. मेन रोड से भलपहरी सड़क सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक 139/अ-82/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	पंडरिया	पांडातराई	3.82	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन, इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कवर्धा.	प्र.मं.ग्रा.स. यो. (पांडातराई से मड़मड़ा) सड़क सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक 141/अ-82/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	पंडरिया	दर्शरंगपुर	1.45	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन, इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कवर्धा.	प्र.मं.ग्रा.स. यो. मेन रोड से पलानसरी सड़क निर्माण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक 135/अ-82./भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	पंडरिया	चरखुरा	2.39	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन, इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कवर्धा.	प्र.मं.ग्रा.स. यो. मेन रोड से भलपहरी सड़क सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बा रेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2003

क्रमांक 551/ले. पा./2003/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	माहुद प. ह. नं. 84/5	3.00	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	खरखरा मोंहदीपाट परियो. के माहुद लघु नहर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय-दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्रमांक 885/भू-अर्जन/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सामरी	रेहड़ा	1.776	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, अंबिकापुर.	चन्द्रनगर जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बैकुण्ठपुर, दिनांक 6 फरवरी 2003

क्रमांक 2/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरिया

(ख) तहसील-बैकुण्ठपुर

(ग) नगर/ग्राम-नगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.48 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	939	0.10
	966	0.14
	174	0.50
	173	0.74
योग		1.48

ग्राम रटगा

	2	0.17
	9	0.4
योग		0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रटगा तालाब निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 6 फरवरी 2003

क्रमांक 4/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरिया

(ख) तहसील-बैकुण्ठपुर

(ग) नगर/ग्राम-चोंपन, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
175	0.08
177	0.35
208	0.72
176	0.30
207	1.17
178/1	0.19
178/4	0.22
183/1	0.13
198/1	0.10
178/2	0.14
178/5	0.24
183/2	0.13
198/2	0.12
178/3	0.20
178/6	0.17
183/3	0.13
182	0.60
184	0.17
185	0.06
200	0.13
203	0.02
204	0.17
209	0.16

(1)	(2)
205	0.36
योग	6.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चोपन तालाब निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 6 फरवरी 2003

क्रमांक 6/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-बैकुण्ठपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोट, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
204	0.47
216	0.58
205	1.99
योग	3.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मुड़ीझिरिया तालाब निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 6 फरवरी 2003

क्रमांक 8/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-बैकुण्ठपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कंचनपुर, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.980 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
296/1	0.035
296/2	0.035
269	0.152
332/4	0.020
332/3	0.020
302/2	0.008
221/2	0.049
303	0.016
216	0.010
254/4	0.014
254/14	0.010
254/17	0.092
254/22	0.018
254/29	0.008
254/33	0.030
215	0.010
253/2	0.057
246	0.017
247	0.013
297/2	0.072
248	0.023
292	0.061
298	0.173
333/1	0.037
योग 17	0.980

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कंचनपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

खरसिया, दिनांक 7 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-32/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-उल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.854 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
240/1	0.028
242/1	0.113
242/3	0.004
243/3, 248/3	0.077
231	0.073
226	0.032
252/2	0.049
253/2	0.069
253/5	0.073
253/1	0.077
253/4	0.109
225/4	0.053
223, 224	0.097
योग 13	0.854

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-गिधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.348 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
108/1	0.016
109/1	0.036
109/3	0.012
123/2	0.122

(1)	(2)
124	0.162
योग	0.348

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एम सन् 1984)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-मैनापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.751 हेक्टर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
229	0.081
231/2	0.093
236/1	0.130
245/1	0.073
245/2	0.012
310/1	0.093
328/1	0.049
329/1	0.049
331	0.061
331/1	0.089
334	0.061
237	0.320
250/2	0.567
252/2	0.211
253/2	0.134
295/1, 2 295/3, 4	0.113
342/2	0.032
341/2	0.008
348	0.206
349	0.040
350	0.134
251	0.061

(1)	(2)
352	0.134
योग 23	2.751

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2003

प्र. क्र. 3/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम (क्रमांक एक सन् 1984)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमो
- (ग) नगर/ग्राम-परसवारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.157 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
84/1	0.040
84/2	0.040
9/2	0.040
2	0.080
85	0.202
89/1	0.081
90/1	0.048
91/1	0.028
91/2	0.032
91/3	
92/1	0.032
101/1	0.182
109/1	0.421
93/2	0.121
97	0.032
96/1	1.214
96/3	1.214
96/5	1.113
96/6	1.113
96/10	1.218
96/9	0.809
98	0.469
99/2	0.109
100/1	0.243
105	0.166
100/2	0.142
100/3	0.040
104/1	0.129
106/2	0.405
104/2	0.073
104/3	0.202
104/4	0.004
106/1	0.048
107/1	0.061
108	0.113
109/2	0.170
110	0.251
111	0.081
107/2	0.048
113	0.291
9/1	0.121
योग	11.157

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भरतसागर जलाशय के लिये.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2003

प्र. क्र. 4/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1994 संशोधित अधिनियम (क्रमांक एक सन् 1984)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-लोरमी
(ग) नगर/ग्राम-ढोलगी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.356 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2/7	3.267
	8	0.089
योग	2	3.356

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भरतसागर जलाशय के लिये.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 576/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-आमापाली, प. ह. क्र. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.679 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2/2	0.053
	200	0.008
	34	0.020
	197	0.089
	36	0.053
	191	0.008
	37	0.045
	267	0.004
	266	0.065
	198/1	0.008
	39/1	0.012
	39/2	0.016
	198/2	0.024
	40	0.012
	41	0.028
	199	0.012
	196/1	0.065
	196/2	
	192	0.069
	193/1	0.024
	193/2	
	184	0.024
	186	0.004
	182/3	0.036
योग		0.679

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अंजोरीपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 645/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मुक्ता, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.640 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
627/1	0.068
627/2	0.121
542	0.012
115 118/1	0.044
116	0.092
118/3 120	0.061
114	0.048
526/1	0.032
525/3	0.044
525/2	0.016
525/1	0.020
523	0.117
524	0.080
137/2	0.028
522/1	0.032
119	0.036
386/3	0.157
393	0.004
392 390/1	0.060
389	0.065
390/2	0.105
402	0.048
404/3	0.016
405/1	0.056
495	0.048
494	0.036
478/2	0.056
478/1 ख	0.081
478/1 क	0.081
463/1	0.105
463/3	0.020
463/2	0.004
468	0.008
467/1 467/2	0.089
464/2	0.016
464/1	0.016
465	0.060
1558	0.008
1557	0.077
1341/1-2	0.073
1314	0.020
1313	0.012
1312	0.016
1311	0.032
1315/1	0.053
1351/2	0.028
1340/2	0.016
1342/1	0.020
1342/2	0.016
1340/1	0.012
1342/3	0.012
1361	0.004
1367	0.008
1359/1	0.040
1359/2	0.040
1369	0.008
1358	0.024
1371	0.024
1372	0.061
1398	0.004
1373	0.064

(1)	(2)
1397	0.133
1396/2	0.008
1395/2	0.056
1395/3	
1550	0.004
1551	0.012
1548	0.068
1549/1	
1549/2	
1556	0.028
1544	0.056
1568	0.048
1570	0.044
1573	0.012
1572	0.040
1576/1	0.032
1576/2	0.004
1545	0.045
1567/2	0.064
1561	0.077
1566	0.061
544	0.133
406	0.061
योग	3.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुक्ता सब डिस्ट्री. ब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 646/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-परसाडीह, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.120 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
523	0.112
459/1	0.026
524	0.101
462	0.057
536/3	0.057
536/1	0.133
461	0.097
460/9	0.049
460/10	0.008
536/4	0.109
536/1	0.109
543	0.008
544	
536/5	0.109
434/2-3	0.145
योग	1.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-परसाडीह सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 647/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-भनेतरा, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.218 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
374/1	0.069
375	0.008
374/2, 3	0.093
373/2	0.061
373/1	0.016
373/3	0.077
362/2	0.121
362/1	0.105
360/1	0.085
360/3	0.093
359	0.049
358	0.020
356	0.061
354/4	0.049
266/4	0.040
266/1, 2, 3	0.040
259	0.032
68/1	0.012
258	0.040
68/2	0.016
69/1	0.016
257/2	0.032
69/2	0.020
70, 90/5	0.129
256/2	0.012
91	0.024
90/3	0.012
90/1	0.008
92	0.077
86/2	0.057
88/1	0.024
67/5	0.036
67/2	0.040
78/4, 5	0.020
78/6	0.020
78/1	0.049
78/2	0.045
79	0.016
योग	1.724

भनेतरा ब्रांच माइनर 3 डी. एल.

(1)	(2)
373/2	0.012
33/2	0.024
32	0.032
33/1	0.028
34	0.081
28	0.016
27/1	0.008
17/2	0.032
17/1	0.032
16/2	0.057
07	0.065
5/3	0.008
5/2	0.154
373/3	0.008
योग	0.557

भनेतरा ब्रांच माइनर 3 डी. एल. आर. डी. 00 मी. से 380 मी. तक

(1)	(2)
94	0.040
95	0.040
227	0.020
157/1, 6	0.024
221, 159	0.053
222	
220	0.024
219/3	0.036
218/1, 2	0.045
217	0.161

(1)	(2)
167, 169/1	0.020
172/1, 2	0.016
205, 206	0.048
185/1, 2	0.053
186	0.036
187	0.165
188/3 ,	0.032
92	0.048
223/1	0.036
223/2	0.020
226/1, 2	0.016
189/1	0.004
योग	0.937
कुल योग	3.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भनेतरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 648/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जर्वे, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.684 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
679/2, 680/2	0.012
299/1	0.016
691/1	0.040
39	0.008
151/1	0.016
147/1	0.012
244/2	0.024
237/2, 237/9	0.020
615	0.016
22/3	0.008
40/1, 2	0.024
152/2	0.016
237/4	0.016
254	0.024
237/5	0.004
147/3	0.004
149	0.061
25	0.070
138	0.040
299/2	0.045
689	0.040
297/1	0.028
22/2, 24	0.024
685/1, 2	0.040
246/1	0.020
251	0.040
29	0.004
253	0.004
687, 688	0.004
147/2	0.004
योग	0.684

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-परसाडीह वितरक शाखा पूरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 649/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा खुर्द, प. ह. क्र. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.833 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
860	0.057
862/1	0.144
861	0.057
874	0.045
873	0.012
870/1	0.109
871/2	
870/3	
869/1	0.332
869/2	
869/3	
869/4	
869/5	
869/6	
869/7	
869/8	
869/9	
869/10	
869/11	
869/12	
849/13	
869/14	
888	0.077
योग	0.833

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-डोगिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 650/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हरेठीकला, प. ह. क्र. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.984 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
हरेठीकला माइनर नम्बर-1 नहर निर्माण हेतु	
1/3	0.069
1/1, 2	0.089
2/2	0.004
4/1	0.109
4/2	0.073
5/1	0.069
5/2	0.069

(1)	(2)	(1)	(2)
36/3, 37	0.020	308	0.004
36/2	0.012	605/1	0.045
2011/1	0.069	605/3	0.053
40/2	0.101	604/4	0.049
60	0.061	604/2	0.012
61	0.081	604/1	0.057
70	0.012	650	0.024
71	0.008	651/2, 3	0.012
69	0.012	652, 654, 311/7	0.053
72	0.012	653	0.024
67, 68	0.061	656	0.028
66	0.049	657, 311/5	0.057
106	0.174	658, 311/4	0.053
105	0.073	660	0.012
104	0.089	659/2	0.069
121	0.032	659/3	0.016
122	0.089	659/4	0.032
145	0.121	661/2	0.032
146	0.012	661/3	0.012
143, 144	0.081	713, 718	0.016
176	0.073	717	0.004
178/2	0.093	719	0.032
179/1	0.004	720	0.004
180/1	0.117	723	0.036
180/2	0.125	725	0.004
205/1	0.089	722	0.004
205/4	0.069	724	0.004
205/2	0.065	731	0.004
256	0.036	732	0.024
255/3	0.032	730	0.057
254/1	0.182	739	0.004
253/2	0.016	740	0.174
271, 272	0.053	770/3	0.069
270	0.036	769/3	0.008
268	0.028	769/2	0.089
265/2, 268/2	0.036	769/1	0.004
265/1	0.028	839	0.073
264/1	0.032	840	0.032
305/2	0.032	844, 845, 846, 847	0.109
306	0.053	850/2	0.008
307	0.061		

(1)	(2)
843/2	0.028
917, 918	0.073
916	0.073
915	0.069
योग	4.558

हरेठीकला बैच माइनर-32 नहर निर्माण हेतु

(1)	(2)
254/2	0.069
263	0.004
262	0.121
594/9	0.024
594/4	0.061
594/3	0.129
1270/2	0.020
1281	0.117
1280/2	0.053
1282/2	0.004
1279	0.065
1287, 1288, 1289, 1290	0.097
1366	0.065
1360/2	0.077
1360/1	0.024
1359	0.016
1361	0.036
1358	0.077
1357	0.020
1354, 1355	0.069
1352, 1353	0.069
1509/3	0.053
1509/1	0.061
1508	0.004
1507	0.040
1510/2	0.020
1506	0.040
1557/1	0.081
1555/1	0.016
1556	0.032
1571, 1572	0.077

(1)	(2)
1570/2	0.045
1570/3	0.065
1570/1	0.008
1567	0.004
1569/1	0.012
1581	0.036
1582	0.028
1583/1	0.049
1612/3, 4	0.069
1613/1	0.077
1615	0.085
1619/3	0.004
1616	0.069
1657	0.032
1656/2	0.024
312/1	0.028
योग	2.276
485	0.049
481	0.028
484/2	0.073
योग	0.150
महायोग	6.984

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हरेठोकला माइनर 1-2 बैच माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 651/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-परसदाखुर्द, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.275 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
358/2	0.012
360/9	0.024
359/2	0.057
360/8	0.024
360/10	0.049
359/1	0.020
365/1	0.061
365/2	0.028
योग	0.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-हरदा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 388/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-मुक्ता ठाकुर, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.904 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/2	0.028
3/3	0.044
4/1	0.135
3/6	0.044
3/7	0.016
3/8	0.032
3/1	0.9
34/2	0.052
33/1	0.084
33/2	0.012
29/2	0.084
67/1	0.088
29/3	0.12
40/6	0.058
40/4	0.044
40/1	0.192
44/3	0.194
43/2	0.044
267/3	0.032
44/2	0.098
43/1	0.076
42/2	
57/1	0.156
71/1	0.14
71/1	0.134
272/1	0.085
371/1	0.053
56/4	0.04
56/1	0.149
67/3	0.096
69/14	0.048
69/11	0.048
70	0.121
79/d	0.036
76/18	0.056
76/24	0.073
71/27	0.018
71/2	0.093
97	0.008
267/2	0.014
77/1	0.069
77/2	0.162
371/3	0.085
372/2	0.19
76/15	0.178
264/1	0.186
269	0.0181
267/4	0.15
267/1	0.456
384/21	0.084
384/4	0.046
384/10	0.093
382/1	0.061
388/1	0.008
386/7	0.101
388/3	0.049
386/8	0.044
योग	4.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—मुक्ता माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 389/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिरदा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.304 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
776	0.078
788/2	0.138
786/1	0.065
786/2	0.057
785/1, 785/2	0.089
1011	0.134
784/1	0.109
1426/3	0.004
1015/3	0.142
784/8	0.081
784/11	0.125
784/10	0.146
784/13	0.17
1315/13	0.125
1315/15	0.13
1315/19	0.0273
1314/3	0.043
1314/2	0.057
1313	0.105
1028	0.012
1311/3	0.057
1311/7	0.146
1310	0.053
1210	0.016
1400/2	0.113
1399/2	0.04
1399/1	0.06
945/5	0.089
945/11	0.028
1016/2	0.073
1398/2	0.004
959/3	0.073
1026/2	0.008
1029/2	0.012
1426/2	0.162
1425/2	0.089
1424/2	0.105
1420/1	0.065
1418/1	0.085
1012	0.057
934/2	0.04
1416/1	0.06
1415/1	0.097
1209/1	0.113
1233	0.04
1211/2	0.15
1212	0.113
1213/2	0.057
959/4	0.069
1206/1	0.081
1214/2	0.045
1214/1	0.061
1206/2	0.063
936	0.045
937/3	0.081
934/1	0.109
946/6	0.081
1013	0.069
945/1	0.081
945/2	0.097
945/10	0.02
945/3	0.105
945/4	0.053
1010/1	0.069
1016/3	0.073

(1)	(2)
1016/4	0.093
1030	0.101
1426/1	0.02
योग	5.304

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—भातमाहुल मायनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 390/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े पाडर मुढ़ा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.189 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/3	0.004
29	0.129
267/2	0.113
28/7	0.150
49/1 क	0.068
28/8	0.020
282/1	0.045
283	0.004
26	0.097
49/1 ख	0.057
49/3	0.064
133/1	0.040
133/3	0.057
130	0.016
133 में से	0.020
132/2	0.004
137/3	0.057
134/1	0.068
133/4	0.044
136/1	0.121
131/3	0.020
131/2	0.032
131	0.016
131/5	0.020
131/8	0.072
131/10	0.053
131/9	0.032
131/11	0.028
131/8	0.020
131/7	0.028
117, 119	0.020
118/1, 97/1	0.040
97/2	0.089
260	0.194
415/2	0.060
270, 268, 269	0.187
288	0.012
287/6	0.060
286	0.060
281/3	0.045
428/9	0.045
428/1	0.028
278/1	0.112
278/2	0.012
378/1	0.016
378/3	0.032
378/2	0.045
378/11	0.020
378/4	0.044

(1)	(2)
422/2	0.044
422/1	0.032
423/1	0.020
424/2	0.004
428/2	0.048
428/5	0.028
417	0.060
428/3	0.040
428	0.045
428/4	0.053
428/7	0.041
415/1	0.101
281/1	0.053
योग	3.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—जमगहन सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 391/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सुलौनी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.430 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
कटारी माइनर-I	
103/1	0.129
101	0.121
102	
104/3	0.194
128/2	0.008
128/3	0.085
126	0.105
125/1	0.105
187/3	0.226
256	0.065
155/1	0.028
181	0.141
182	0.036
315/4-5	0.089
316/4	0.053
316/1	0.044
316/3	0.040
316/2	0.012
317	0.121
318	0.057
319	0.004
योग	1.663
कटारी माइनर-II	
103/1	0.016
44	0.348
43	0.069
42	0.053
41	0.145
40	0.069
योग	0.700
कटारी माइनर-III	
104/3	0.117
105	0.121
106/1	0.170

(1)	(2)
106/2	0.045
108/1, 2, 3, 4	0.085
94/2	0.020
92/1	0.247
56/5	0.020
91	0.121
107	0.121
योग	1.067

I	-	1.663
II	-	0.700
III	-	1.067
	-	3.430

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कटारी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 393/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भातमाहुल, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.056 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
भातमाहुल मायनर भाग-I	
121/1 क	0.024
129/4	0.184
129/5	0.080
129/1 ख	0.048
129/1 क	0.040
129/1 ग	0.024
131/1 ख	0.040
132/1	0.016
134/8	0.024
220/2, 220/4	0.128
130/3, 131/4	0.080
131/3	0.056
132/3	0.104
132/4	0.040
151/1	0.202
151/2	0.040
149/1	0.032
143/3	0.016
148	0.104
146/2	0.040
145	0.064
221	0.024
144	0.040
220/3	0.016
220/1	0.319
238/2	0.016
245	0.073
243/4	0.040
241/2, 241/4	0.144
244	0.144
243/3	0.080
243/2	0.048
योग	2.330
भातमाहुल मायनर भाग-II	
327/1	0.040
327/2	0.104
327/5	0.088
327/7	0.056

(1)	(2)
327/9	0.112
328/2	0.032
597/4	0.048
603/1	
328/5	0.048
608/3	0.040
893/1 क	
908/1 ख	0.088
909/1 ख	
910/1 ख	
608/6	0.040
568	0.064
608/1 ख	0.024
329/1	0.024
329/3	0.168
601/2 क	0.020
606/1	0.012
667/1 क	0.020
601/2	0.135
602	
603/2	0.032
597/2	0.004
596/3	0.048
596/1	0.004
595/1	0.064
539	0.072
590	0.068
553	0.040
550	0.096
552	0.112
569/2	0.032
566/1	0.064
671/1	0.020
887	0.036
667/1 ख	0.048
667/2	0.072
668	0.024
665	0.080
664	0.032
891/1	0.040
890/1	0.056
888/2	0.036
886/1 क	0.107
892/4	
894	0.020
895/4	
886/1 ख	0.012
892/1 क	0.004
897/1 क	
893/2	
908/2	0.096
910/2	
909/2	
893/1 घ	
908/1 घ	0.104
909/1 घ	
910/1 घ	
907	0.064
908/1	0.052
906	0.024
योग	2.726

कुल योग :-

भाग I	2.330
भाग II	2.726
	5.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—भातमाहुल मा. भाग I एवं भाग II.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 394/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पिहरीद, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.116 हे.

खसरा नम्बर (1)		रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2048/1		0.182
2048/2		0.239
2048/3		0.008
1132		0.445
1213/2		0.12
956/1		0.040
955/11		0.012
955/10		0.129
1152		0.117
1151		0.077
1153		0.012
1144 1146/1, 2 1148		0.081
913/2		0.255
1143		0.182
1145		0.061
1187		0.069
1140/1		0.036
921/2		0.049
962/2		0.020
1141/1		0.032
921/1		0.368
1141/2		0.049
1199		0.032
1188/1		0.018
1201		0.089
1200		0.008
1204		0.061
1138/2		0.101
1140/2		0.146
1098/1		0.061
1097/1		0.328
956/2		0.028
933/3		0.040
955/2		0.170
955/1		0.304
922/2		0.089
913/1		0.024
913/3		0.138
910/2		0.061
910/1		0.049
910/4		0.061
909/1		0.065
910/3		0.032
909/2		0.150
904		0.109
905/2		0.081
903		0.024
746/1 751/1		0.121
752 753 754	4	0.032
827/2		0.040
752 753 754	1	0.109
752 753 754	3	0.032
762/1		0.178
826/3		0.049
826/2		0.032
826/4		0.016
825		0.045
824		0.045
831/1		0.040
831/2		0.008
835/1		0.089
835/2		0.008
813/7		0.097
813/1		0.016

(1)	(2)
813/5	0.049
811/6	0.032
811/2	0.004
851/2	0.154
850/5	0.069
811/5	0.069
1150	0.040
योग	6.116

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—पिहरीद माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 395/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-मालखरौदा
   (ग) नगर/ग्राम-लिमगांव, प. ह. नं. 8
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.371 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
288/1, 2	0.101
38/6, 11	0.089
289/4	0.049
289/3	0.016
288/8	0.036
289/2	0.032
303/1	0.097
303/2	0.02
284	0.076
281/5	0.036
283/1	0.024
281/2	0.016
281/3	0.178
281/8, 9	0.182
360/1	0.004
369/1, 2	0.234
455	0.125
453	0.069
560	0.045
12/2, 3, 4	0.044
516/2	0.004
504	0.02
503	0.02
502/5	0.016
556/2	0.016
556/1	0.109
557	0.012
569	0.101
579	0.036
562/1, 2	0.057
578	0.008
577/3	0.098
576	0.068
574	0.044
571/2	0.036
607	0.004
571/3	0.02
626	0.032
627	
662/2	0.008
667	0.089
459	0.016
515/1	0.02
512/1	0.048
360/4	0.032
513	0.024
630	0.012

(1)	(2)
625	0.004
558	0.008
506	0.053
योग	2.371

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—लिम्गांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 396/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कुधरी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.428 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
103/1, 110, 111	0.113
103/2	0.012
104	0.073
140/1	0.069
140/2	0.028
367/3	0.113
100	0.073
141	0.020
101, 102	0.141
142/3	0.016
218/2	0.020
142/4	0.016
142/5	0.020
97/1 क, 97/1 ख	0.093
142/6	0.020
142/7	0.024
218/1	0.081
142/2	0.081
210	0.049
290, 217	0.101
218/3	0.008
142/1	0.040
221	0.057
363, 362	0.045
216	0.073
524	0.053
367/1	0.061
376/1	0.032
389	0.053
494/1	0.012
455/2, 471/2	0.061
456/2	0.162
383	0.036
381/1	0.024
381/2	0.028
380/1	0.040
398	0.032
406	0.028
455/1, 471/1	0.016
408	0.036
453	0.085
452	0.089
455/3	0.028
525	0.113

(1)	(2)
494/1	0.008
697/1	0.045
योग 27	2.428

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कुधरी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 398/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कटेकोनी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.070 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
675/1, 675/2	0.081
678	0.032
674/2	0.040
673	0.012
672, 671	0.073
607/1	0.077
606/2	0.028
682	0.069
601/4	0.040
603	0.008
601/1	0.024
600	0.129
597/1	0.032
597/2, 598	0.049
587	0.061
596	0.016
589/2, 588/1	0.057
589/3, 588/2	0.049
473	0.004
472	0.093
471/3	0.069
471/1	0.024
478/1 क	0.081
478/2 ख	0.061
480	0.093
481	0.057
341/1	0.109
347/3	0.032
353/1	0.008
350	0.073
357	0.045
358	0.012
356	0.020
364	0.032
365	0.053
367	0.069
377	0.036
376	0.077
147	0.008
148	0.077
144/2	0.093
145/1, 144/1	0.077
136/1	0.024
137/2, 136/2	0.057
107/1	0.012
107/2	0.045

(1)	(2)
105/1	0.061
112/2	0.045
112/1	0.040
111, 113	0.065
116/2	0.028
116/3	0.028
115/3	0.040
122/2	0.045
123	0.053
125/2	0.016
88	0.129
89	0.012
81	0.069
82	0.045
84	0.020
83	0.012
121	0.004
139	0.004
349/6	0.036
योग	3.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गोबरा सब डी वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 399/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े मुड़पार, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.083 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
27/4	0.065
28	0.020
27/3	0.089
24/1 ख	0.093
10/10	0.008
24/2	0.008
36/1	0.073
35	0.008
40/2	0.109
5/2	0.008
41/9	0.065
9/2	0.020
8/2	0.081
6/1	0.012
5/1	0.109
3/1, 2, 3	0.053
2/1, 3/1	0.008
2/2, 3/3	0.004
3/2, 2/3	0.073
46	0.145
47/3, 48/2, 49/2	0.016
47/4, 48/3, 49/3, 50/2	0.016
योग	1.083

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बरतुंगा ब्रांच मायनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 400/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-वडादराह, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.766 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
272/2	0.052
273/1	0.036
274	0.036
275	0.068
273/2	0.068
277/1	0.056
278/4	0.008
277/3	0.016
277/4	0.016
278/7	0.016
278/2	0.008
278/3	0.072
496	0.024
280/4	0.028
280/1	0.048
495	0.081
494	0.076
522	0.101
475/4	0.060
475/5	0.044
475/6	0.072
475/7	0.072
475/8	0.064
475/9	0.048
475/10	0.068
474/3	0.020
474/1	0.085
474/2	0.020
452/1	0.155
451	0.085
445	0.188
450	
446/2	0.064
446/1	0.068
447/1	0.032
447/2	0.040
447/3	0.040
448/2	0.024
403/5	0.032
404/9	0.076
404/10	0.040
387/2	0.040
386/4	
383/4	0.117
383/1	0.129
404/6	0.020
योग	2.513

नवापारा उप-शाखा नहर निर्माण हेतु II

475/10	0.032
550/3	0.068
550/9 क	0.060
550/4	0.032
550/7	0.040
559/5	0.020
560/1	0.237
721/8	0.060
721/2	0.012
721/7	0.002
720	0.293
711/1	0.068
711/3	
योग	0.924

नवापारा उप-शाखा नहर निर्माण हेतु III

588/1	0.177
588/8	0.004
586/1	0.028
272/7	0.032
272/3	0.064
272/8	0.024
योग	0.329

I	2.513
II	0.924
III	0.329
	3.766

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—नवापारा उप-शाखा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 407/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नंदेली. प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.314 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
241/2	0.028
266/1	0.020
242/1	0.016
249/1	0.028
250/1	0.012
240/1	0.012
271/1	0.016
247/1	0.061
229	0.008
243/2	0.049
474	0.024
233	0.040
योग	0.314

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कल्मीडीह माइनर पूरक प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी. हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 410/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लालमाटी, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.333 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
148/4, 6	0.121
143/5	0.049
145	0.040
147/4	0.036
147/3	0.012
324	0.004
323, 314/1	0.036
314/3	0.020
313/2	0.004
311/2- ख	0.113
311/2-क, 315	0.133
162	0.077
161	0.024
163/2	0.024
165	0.053
163/1	0.004
योग	0.754
116	0.032
117/3	0.002
85/2, 3	0.077
86	0.089
106	0.040
107/2	0.008
107/3	0.049
107/1	0.028
105/3	0.113
105/2	0.085
105/1	0.032

(1)	(2)
102. 104/1	0.024
योग	0.579
	0.754
कुल योग	1.333

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—भनेतरा माइनर/भनेतरा ब्रांच माइनर 3 L.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 411/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.886 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11/1	0.028
10/1	0.045
11/5	0.024
911	0.270
9/21	0.061
9/33	0.074
9/6	0.020
9/32	0.012
9/2, 540/2	0.028
739/2, 740/2	0.150
741	0.012
938/1	0.413
541/9	0.150
541/8	0.012
544/2	0.150
621/1	0.012
623/3	0.046
623/4	0.227
620/3, 736/32	0.140
736/12	0.012
योग	1.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—मलनी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 412/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बोडसरा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.784 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
378/2	0.049
379	0.073

(1)	(2)
380/1	0.066
381/2	0.126
382	
383	0.051
387	0.029
384	0.035
385	
390/6	0.050
390/5	0.049
397	0.016
393	0.083
394	0.074
459	0.005
456/1	0.021
454/1	0.044
441/3	0.020
441/2	0.079
441/1	0.031
440	0.044
443/3	0.048
912	0.044
913/1	0.061
913/2	0.016
455/1	0.036
455/2	0.060
455/4	0.025
455/5	0.025
455/3	0.050
443/1	0.064
443/3	0.050
442/5	0.018
441/3	0.020
442/2	0.056
442/1	0.032
442/3	0.040
442/4	0.020
914/1	0.043
914/2	0.043
911	0.065
910	0.189
873/3	0.053
872/1	0.012
839/1	0.086
838/1	0.153
838/4	0.065
838/3	0.015
837	0.026
828/2	0.024
829	0.132
830	0.013
832/1	0.038
848/1	0.061
849	0.073
850	0.033
827/21	0.070
योग	2.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कचन्दा उप वितरक/बरदुली/वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 526/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-पोडाहरदी, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.165 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
287/13	0.109
324/2	0.032
220/1 220/3	0.024
योग	0.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कलमीडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 527/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-हरदा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.059 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
212/1 212/2	0.032
349/1	0.109
349/2	0.409
349/3	0.166
349/4	0.125
348/3	0.036
351/1	0.004
351/2	0.162
352	0.016
योग	1.059

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—मोहदीकला वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 535/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-गौरमुड़ा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.622 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
329	0.222
328/3	0.008
328/4	0.077
330	0.109
327/2	0.040
331/2	0.004
332	0.085
333	0.077
योग	0.622

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरदा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 536/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-चमरवाह, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.740 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
53/3	0.146
54/3	
231/2	0.021
64/1	0.016
62/2	
63/1	0.178
228/1	
229/1	
62/5	0.178
63/3	
228/2	
229/2	
236	0.255
238	
363/5	0.061
361/3	
369/10	0.267
362/4	
364/2	0.065
361/4	0.259
369/9	
315	0.044
324	0.012
317	
318	0.049
319	
316/1	
320/1	0.372
321/1	
326/2	0.036
327/2	
329/2	0.138
361/5	0.109
369/8	0.198
293/2	0.081
293/4	0.231
311	0.024
योग	2.740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 537/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-जामपाली, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.241 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
227	0.125
290	0.040
367	0.316
131/1	0.198
131/3, 4, 5, 6	
239	0.053
238	0.101
285/1-2	
285/3	0.089
285/4	
287/1	
287/2	0.166
287/3	
288	0.057
373	0.081
364	0.344
380	0.008
379/1	0.093
379/2	
389/1	0.032
389/2	
390/1-2	0.065
388/1	0.134
388/2	
387	0.105
386	0.182
385/2	0.040
385/5	0.008
286	0.004
योग	2.241

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—धांगरपारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 538/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-जुड़गा, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.299 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
164/1	0.364
164/2	
185/1	
185/2	0.057
185/3	
186/1	
186/2	0.202
186/3	
202/2	0.045
202/1	0.024
206	0.032
217/1	0.146
217/2	
204	0.032
205	0.028
207	0.004
209/1	0.008
209/2	
546	0.008
545/1	0.004
544/1	0.097
544/2	0.045
576	0.105

(1)	(2)
577/1	0.045
577/2	0.049
577/3	0.004
योग	1.299

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—अजोरीपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 539/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कांशीगढ़, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.069 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2903/1 2904/1	0.069
योग	0.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कांशीगढ़ माइनर पूरक प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 540/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रिवाडीह, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.037 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13/2	0.004
14	0.008
21	0.186
22/1	0.040
26	0.024
62	0.073
64/3	0.040
27/1	0.004
27/2	0.109
28	0.012
429	0.040
63	0.089
72/1	0.008
72/3	0.065
74	0.032
75	0.028
78/1	0.049
78/2	0.012
78/3	0.040
81	0.081
91	0.081
92	0.097
93	0.073
397	0.008

(1)	(2)
398/1	0.040
398/2	0.053
730	0.008
407/1	0.008
733/2	0.024
407/3	0.028
408	0.045
409	0.040
785	0.012
410	0.057
412	0.053
415	0.032
595/1	0.235
428	0.045
413	0.040
786	0.008
414	0.024
426	0.081
427	0.020
596	0.113
594	0.008
595/2	0.004
781	0.061
784	0.081
789	0.097
790/1	0.073
749	0.049
748	0.004
743	0.040
744	0.024
1018	0.012
735	0.020
736	0.061
733/3	0.024
733/4	0.03
729	0.024
731	0.002
400/1	0.020
407/2	0.120
733/1	0.052
400/2	0.012
399	0.020
योग	3.037

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—माइनर 2 R/ कचंदा उप वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 541/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.901 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1733	0.008
1734	0.045
1735/1	0.028
1740/1	0.032
1741	0.040
1742/2	0.028
1743	0.012
643	0.053
642	0.049
1745	0.057
1746/2	0.069
1747	0.049
635	0.045
634	0.057
633	0.045
587	0.045
586/1	0.113

(1)	(2)
586/2	0.069
584	0.057
योग	0.901

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—आमगांव सब मायनर 1 का पूरक प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 542/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-गाड़ामोर, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.214 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
213	0.020
214	0.064
248/1	0.056
248/2	0.068
252/1	0.068
252/2	0.032
252/4	0.056
256/1	0.060
256/2	0.013
257	0.069
189/10	0.016
[illegible]	0.032

(1)	(2)
259	0.062
260	0.013
261	0.045
262/1	0.025
189/9	0.008
262/2	0.053
263/2	0.025
265/1	0.064
267	0.012
266/2	0.072
318/6	0.052
318/4	0.064
318/3	0.077
318/1	0.029
314	0.009
313	0.061
312/2	0.061
311	0.053
340	0.021
365/1	0.032
339/1	0.109
339/2	0.065
369/1	0.065
369/2 क	0.033
368/2 क	0.017
369/2 ख	
343/4	
344/2	0.037
368/2 क	
343/2	0.049
367/5	0.044
365/2	0.029
366	0.044
595/1 क	0.149
595/1 ख	0.028
599	0.029
600/1	0.041
600/2	
603	0.009
601/1	0.013
601/3	0.013

(1)	(2)
605/3	0.028
189	0.020
योग	2.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गाड़ामोर माइनर (बरदुली वितरक नहर के अंतर्गत).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 543/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हरदीडीह, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.118 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
313/1	0.028
313/2	0.089
309/1	0.020
309/2	0.020
310/1	0.012
310/2	0.012
311/1	0.004
311/2	0.004
319	0.057
320	0.040
983	0.004
336/1	0.020
336/5	0.049
336/2	0.040
336/3	0.012
336/6	0.053
335	0.008
337	0.105
334	0.012
368	0.020
372	0.053
371	0.036
326/2	0.008
362/3	0.053
362/1	0.243
376	0.085
490	0.049
356	0.008
597/1	0.097
597/2	0.077
597/3	0.012
357	0.002
598/1	0.008
596/1	0.016
596/2	0.093
594	0.008
595	0.032
591/1	0.053
599/1	0.040
599/2	0.012
599/3	0.053
600	0.012
629	0.223
607/1	0.129
606/2	0.012
607/2	0.125
619/2	0.012
607/5	0.012
780/1	0.004
867	0.247
868	0.125
876	0.186
919	0.024
920/2	0.024
625	0.016

(1)	(2)
321	0.008
308	0.012
योग	2.818

खसरा स्टेटमेंट

287/2	0.001
287/3, 297/5	0.081
287/4, 297/4	0.121
289	0.024
290	0.073
योग	0.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—मायनर 2 R कचंदा/ब्रांच मायनर 2 R.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 544/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरेकेल, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.401 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
168/3, 362/3	0.004
168/7, 362/7	0.069
168/9, 362/9	0.073
361	0.036
168/5, 362/5	0.004
168/6, 362/6	0.036
160/4, 384	0.004
358, 357	0.069
359	0.008
353	0.004
355	0.045
354	0.045
347	0.008
407/1	0.069
408	0.129
409/1	0.008
335, 336	0.008
334	0.040
333	0.008
332	0.012
331	0.028
329	0.028
330	0.045
325/2	0.004
326	0.105
323/4	0.024
323/1	0.024
323/5	0.012
323/6	0.012
323/2	0.012
323/9	0.012
321	0.028
322	0.028
343/3, 344/3	0.012
344/3	0.036
451/4	0.109
451/5	0.065
451/2	0.040
453	0.255
166/1 क	0.012
443/1, 444/1	0.036
योग	1.606

खसरा स्टेटमेंट

(1)	(2)
30, 32	0.057
33/4	0.004
33/3	0.012
34/2	0.016
34/3	0.024
37/1, 2	0.049
38/3	0.065
39/1	0.020
38/5	0.020
40/1	0.040
42/3 ख	0.012
41/1	0.065
42/4	0.012
102	0.069
104/2	0.032
104/1	0.004
112	0.028
113/1	0.036
113/2, 3	0.065
121	0.081
120	0.040
119	0.036
118	0.008
117/1	0.020
130	0.101
132	0.012
133	0.004
114/9	0.034
143	0.032
145	0.024
146/1	0.004
148/1	0.016
147/2	0.004
150	0.113
149	0.004
151/1	0.020
151/2	0.004
158/1	0.089
172	0.032
160/2	0.016
169, 170	0.045
171/2	0.004
171/1	0.045
168/2, 362/2	0.024
166/1 ख	0.028
166/1 क	0.097
166/2	0.016
364/2	0.036
365/1	0.032
368/2	0.016
367	0.020
359	0.020
33/1	0.032
114/15	0.012
114/17	0.020
114/8	0.024
योग	1.795

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बरेकेल मायनर/ब्रांच मायनर 1 R.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 545/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमाकोनी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.182 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
172/11	0.020
172/3	0.202
172/5	0.186
172/6	0.065
57/2	0.040
58/4	0.024
58/3	0.008
58/5	0.012
58/6	0.057
59/1	0.057
59/2	0.032
60/1	0.049
60/2	0.008
62	0.032
63	0.069
154/2	0.020
153	0.012
155	0.045
124/1	0.081
124/3	0.113
124/6	0.121
124/7	0.004
140, 141	0.073
138/2	0.073
139/2	
136, 137	0.012
130	0.012
131	0.040
132	0.101
133/1	0.008
133/2	
126/3	0.012
128/3, 129	
123	0.024
343/2	0.004
245/1	0.020
245/3	0.012
246/1	0.105
244	0.061
241	0.049
247/2	0.004
248/1	0.012
249	0.032
250	0.016
251/2	0.004
251/4	0.069
256	0.036
257/2	0.004
257/3	0.061
260	0.081
योग	2.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—आमाकोनी माइनर/बरदुली वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 548/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छतौना, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.099 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/37	0.136
17/29	

(1)	(2)
8/44 17/36	0.120
8/19 17/11	0.248
8/47 17/39	0.373
8/47 17/34	0.232
8/49	0.108
8/4	0.084
8/42	0.076
8/43	0.042
8/2	0.264
8/6	0.184
14/2	0.156
8/36	0.208
8/10	0.136
15	0.596
14/3	0.136
योग	3.099

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—डुमरभाटा उप वितरिका नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 549/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-औरदा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.930 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1891	0.016
1390	0.032
1388/1, 2, 3	0.081
1380/3	0.028
1380/1	0.089
1380/5	0.020
1378	0.210
1379/1	0.004
1379/2	0.008
1346	0.004
1345/2	0.061
1344/1	0.004
1344/2	0.032
1343	0.040
1342	0.032
1339	0.032
1338/2	0.040
1338/1	0.061
1338/4	0.020
1337	0.036
1335/2	0.024
1305	0.024
1304	0.024
1389	0.008
योग	0.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कटारी माइनर/ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 550/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छपोरा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.554 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1244	0.077
1245	0.049
1246/1	0.032
1236/1	0.012
1235/1, 2	0.085
1224/1	0.016
1225	0.065
1234	0.032
1247	0.004
1233	0.036
1226/1, 2	0.101
1227	0.045
योग	0.554

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—डोमा सब मायनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 551/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.554 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
प्रायोजन : भागोडीह माइनर	
244/17	0.024
244/19	0.089
244/8	0.012
203/3	0.073
203/15, 16, 17, 18, 19	0.235
189/1	0.445

(1)	(2)
193/6	0.012
193/5	0.117
192/3	0.117
193/2	0.073
193/3	0.004
193/1	0.032
194/1	0.004
122/2	0.008
122/4	0.109
122/1	0.024
122/5	0.141
122/3	0.105
123/3	0.016
121/3	0.069
121/1	0.057
121/5	0.032
121/6	0.218
121/4	0.032
116/1	0.004
116/2	0.004
115	0.344
114/5	0.101
114/6	0.040
106/1	0.040
106/2	0.129
105/1	0.093
104/1	0.149
124/3	0.004
104/3	0.004
16/1	0.141
16/2	0.053
16/4	0.057
21/7, 8	0.008
21/10, 11	0.085
21/2	0.061
21/1	0.077
22	0.069
23/3	0.020
23/4	0.117
23/5	0.154
27	0.024
योग	3.826

प्रायोजन : भागोडीह माइनर-1

121/1	0.101
124/8	0.020
124/31	0.057
125/14	0.057
130/21	0.024
130/7	0.073
130/14,19	0.002
125/13	0.004
130/20	0.101
130/3	0.057
130/22	0.077
131	0.052
130/16	0.081
132	0.077
130/1	0.002
योग	0.785

प्रायोजन : भागोडीह माइनर-2

(1)	(2)
16/4	0.004
21/7, 8	0.125

(1)	(2)
18	0.113
19/2	0.073
5	0.186
4/2	0.057
3/4	0.040
3/6	0.057
3/3	0.057
3/5	0.040
3/2	0.053
3/1	0.053
4/4	0.085
योग	0.943

1	3.826
2.	0.785
3.	0.943
कुल योग	5.554

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—भागोडीह माइनर, ब्रांच माइनर 1 एवं 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 552/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सकरी. प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.014 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
144/9	0.024
144/8	0.081
144/4	0.056
150/7, 8	0.312
150/1	0.008
373	0.121
374	0.016
370/3, 4	0.138
369/1	0.016
369/2	0.069
380/1	0.016
366	0.093
365	0.077
380/3	0.024
381	0.016
383/1	0.008
364	0.085
362/1	0.049
362/2	0.065
359/1	0.113
358/9	0.089
358/13	0.012
358/12	0.012
358/15	0.053
358/11	0.053
144/5	0.004
योग	1.610
67/2	0.109
67/4	0.061
67/5	0.036
67/1 ग	0.053
67/1 घ	0.125
79/4	0.065
79/2	0.109
81	0.053
55/9, 10, 11	0.113
55/6, 7, 8	0.121
56	0.061
44/1	0.069
43	0.028

(1)	(2)
46/1	0.040
46/2	0.121
46/3	0.024
योग	1.188
373	0.012
374	0.077
375/6	0.044
375/4	0.004
373/3	0.040
375/2	0.036
375/5	0.085
389	0.012
390/1	0.032
390/2, 3, 4	0.174
398/2	0.028
398/4	0.061
398/1, 5	0.255
400/1, 2	0.032
415/3	0.089
415/2	0.154
434	0.081
योग	1.216

1.	1.610
2.	1.188
3.	1.216
योग	4.014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कटारी मायनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 553/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-डोकरेल, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.819 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
86/2	0.307
85/3	0.036
87	0.283
88/1	0.121
120	0.138
123/3	0.024
119	0.141
118	0.153
117	0.028
89	0.032
90/1	0.028
90/2	0.032
116	0.093
88/2	0.093
126/2	0.125
114	0.060
88/476	0.125
योग	1.819

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—डूमरभाठा उप वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 554/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कटारी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.543 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
708/1	0.093
716	0.161
715	0.008
671	0.060
672/2	0.016
668/3, 4	0.060
669/1	0.048
670	0.097
योग	0.543

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—करिगांव मायनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 555/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बरमांठा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.938 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1) बरमांठा सब मायनर	
(1)	(2)
27/1	0.004
106	0.036
28/4 ख	0.085
28/4 क	0.041
28/1	0.004
29	0.113
30/4	0.061
31/1	0.077
31/2	0.024
44/4	
45/3	0.081
46/3	0.008
66/2	0.032
46/1	0.053
50/1 क	0.105
56/2	0.045
56/1	0.032
57/1	0.077
61/1	0.020
65/2	0.012
66/1	0.041
73/1	0.012
73/8	0.016
73/2 क	0.093
योग	1.072

(2) बरमांठा ब्रांच सब माइनर

(1)	(2)
44/2	0.028
45/3	
39/1	0.040
127/2	0.081
109/1	0.053
109/2	0.089
110/4	0.036
110/1	0.081
110/7	0.045
125/1	0.097
125/4	0.101
126/2	0.073
126/1	0.073
127/1	0.069
योग	0.866

(1)	1.072
(2)	0.866
कुल योग	1.938

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बरभांठा सब मायनर + ब्रांच सब मायनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 556/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-चन्देलाडीह, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.950 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
169	0.060
168/1	0.072
167/1	0.060
166/1	0.064
161/1	0.068
158/4	0.129
153	0.121
148	
147	0.072
137	0.048
136	0.064
139/1	0.068
138	0.068
177/1	0.056
177/2	
योग	0.950

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—करीगांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 557/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिहरीद, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.309 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
525/2	0.045
525/4	0.065
538/19	0.230
1445/2	0.036
1445/3	0.049
1453	0.016
1435	0.077
1474/2	0.032
1474/1	0.036

(1)	(2)
1475/1 ख	0.077
1475/4	0.040
1475/6 ख	0.045
1475/6 क	0.028
1475/11	0.081
518/2	0.012
1519	
1520/1	
1521	0.312
1522	
1523/2	-
1519/7	
1520	0.057
1521/4	
1523/1	0.049
1519/2	0.117
1517/1	0.032
1514/1	0.069
1513	0.283
1505	0.032
1503	0.020
1504	0.073
1509/2	0.097
1507	0.053
1495/1	0.246
योग	2.309

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—भूतहा ब्रांच सब मायनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 558/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भूतहा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.457 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
318	0.024
418	
317	0.061
306	0.032
307	
316/2	0.049
308/2	0.016
308/3	0.121
308/4	0.089
308/1	0.065
योग	0.457

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—भूतहा ब्रांच सब मायनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 559/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.860 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25/2	0.028
22/2	0.012
26/2	0.109
36	
37/1	0.077
37/2	0.057
37/3	0.085
598/1	0.045
600/2	
38/1	0.077
38/3	0.085
38/2	0.045
38/4	0.016
598/9	0.061
595/2	0.057
599/2	0.016
590/4	0.061
599/3	0.073
599/4	0.016
600/1	0.093
598/8	0.040
601	0.004
602/2	0.016
581/4	0.016
602/3	0.020
602/1	0.012
581/16	0.028
603	0.004
598/11	0.069
573/2	0.077
597/4	0.032
596	0.045
581/8	0.057
581/9	0.004
580/1	0.024
573/4	0.065
571/2	0.045
547/2, 3	0.073
547/1, 5	0.004
543	0.032
532/3	0.004
532/2	0.012
532/6	0.040
532/7	0.040
532/1	0.024
552	0.032
532/8	0.028
योग	1.860

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—नवापारा सब मायनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 561/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बीरभांठा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.274 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13/4	0.069
13/11	0.048
11/7	0.109
21	0.048
योग	0.274

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कुरदा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 562/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— .

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छतौना, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.784 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/6	0.097
16/5	0.036
42/10	0.165
42/11	0.032
50/1	0.170
50/12	0.142
50/3	0.044
50/4	0.078
50/11	0.012
50/8	0.008
योग	0.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कुरदा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 564/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े सीपत, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.629 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1096/5	0.024
435/3 181, 182, 183	0.064
184/7	0.049
188/3	0.004
356/4	0.068

(1)	(2)
348/5, 352	0.008
348/3, 352	0.105
348/4, 352	0.086
356/9	0.056
351/3	0.020
351/5	0.020
380/2 ग	0.048
330/3	0.056
356/2	0.021
योग	0.629

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कुरंदा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 565/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे सीपत, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.546 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
199	0.149
30/1	0.121
30/2	0.089
485	0.101
17	0.020
140/6, 153/2	0.012
182	0.263
209/3	0.004
1/1	0.076
209/1	0.052
161/2	0.020
779/2	0.534
779/8	0.020
779/9	0.498
779/4	0.089
779/7	0.498
योग	2.546

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कुरदा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 566/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.600 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
203/4	0.364
177/1	0.202

(1)	(2)
176/5	0.012
176/3	0.057
176/10	0.049
176/9	0.028
176/4	0.085
163/2	0.084
159/7	0.012
163/3	0.065
163/1	0.053
163/5	0.012
159/1	0.190
155/1	0.061
155/3	0.053
162/3	0.036
154	0.245
162/2	
153/2	0.028
योग	1.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बड़े देवगांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 567/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अड़मार, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.777 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
246	0.340
248/2	0.028
249/1	0.239
249/2	0.142
250/1	0.028
योग	0.777

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कटारी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 568/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगिया, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.209 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
531/1	0.044
531/2	
532	0.165
योग	0.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—करीगांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 569/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कटारी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.488 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
कटारी माइनर	
(1)	(2)
249/3	0.032
249	0.004
249/1	0.081
256/2	0.004
257/1, 2, 5	0.028
257/4	0.048
424/1	0.032
424/2, 3	0.032
263	0.004
265/1	0.028
265/3	0.008
265/2	0.004
423/2	0.020
423/1	0.004
423/3	0.004
267	0.053
268/2	0.004
268/1	0.004
315	0.109
314	0.049
320	0.045
321	0.004
319/2	0.032
323/2	
319/1	0.036
323/2	
319/4	0.049
223/3	
385/1	0.028
385/2	
386	0.024
387	
382	
383	0.049
384	
381/1, 2	0.032
356	
389	0.105
357	0.045
355	0.008
353	0.008
358	0.045
352	0.032
359	0.053
351/1	0.109
351/2	0.093
350/3	0.109
योग	1.458

कटारी माइनर-6

356	0.020
389	
371/1	0.093
371/3	
374/1	0.012
371/2	0.016
373	0.032
372	0.012
331/6	0.020
331/4	0.032
331/5	0.024
174/1	0.024
173/2	0.028
172/2	0.008

(1)	(2)
172/3	0.020
172/1	0.024
141/2	0.004
139/2	0.049
139/1, 3	0.004
138/1, 2	0.040
136/2	0.020
121	0.004
135/2	0.012
135/3	0.028
134	0.028
135/1, 5	0.008
132/1	0.049
132/2	0.016
132/3	0.020
132/4	0.008
131	0.028
योग	0.683

प्रायोजन : कटारी माइनर-7

91/2	0.040
91/1	0.028
91/5	0.012
91/5	0.008
91/16	0.008
83	0.032
82	0.036
81/1	0.053
91/7	0.016
91/8, 10	0.016
93/2	0.049
93/1, 3	0.004
95	0.045
योग	0.347

कटारी माइनर	-	1.458
ब्रांच माइनर	-	0.683
ब्रांच माइनर 7	-	0.347
कुल योग	-	2.488

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-(1) कटारी माइनर (2) ब्रांच माइनर नं. 6 (3) ब्रांच माइनर नं. 7.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 570/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सकर्रा + सकर्री, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.303 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
कटारी माइनर	
(1)	(2)
1108	0.036
1109	
1111/2, 4	0.057
1106	0.016
1124	0.040
1112	0.028
1123	0.004
1113	0.032
1116	0.004
1117	0.036
1118	0.036
1119	0.004
1120	0.024
1115	0.028
1152	0.049
1153	0.028
1157/1	0.036
1157/2	0.049
1157/3	0.081
1158	0.012
1196	0.076
1197	0.020
1198/1, 2	0.053
1216	0.012

(1)	(2)
1215/1	0.008
1215/2	0.008
1215/3	0.008
1217	0.004
1210	0.040
1707	0.024
1706/1, 2	0.073
1205	0.032
1259/1, 2	0.028
1204	0.073
1187/2	0.012
1260/3	0.004
1261	0.057
1177	0.016
1262/3	0.073
1178/2	0.012
1176/4	0.004
1262/6	0.036
1375/2	0.093
1375/5	0.008
1375/4	0.065
1373	0.036
1376	0.016
1372	0.065
1368/2	0.016
1368/1	0.049
1369/3	0.012
1369/2	0.036
1370	0.036
1340/2, 3	0.190
1340/4	0.085
1339	0.053
1336/1	0.093
1334/1	0.004

कटारी माइनर II

1334/2, 3	0.020
1323/1	0.117
1324	0.085
886/8	0.057
886/7	0.008

(1)	(2)
1441	0.016
885/1	0.105
877	0.012
878	0.101
879	0.024
881/1	0.053
883/1, 2	0.109
1473/1	0.008
1473/2	0.061
1472	0.036
1470	0.028
1474/1	0.085
1474/2	0.040
1484/3, 4	0.093
1484/1	0.012
1479	0.012
1486/2, 4	0.113
1486/6	0.137
1486/3	0.089
योग	3.551

ब्रांच माइनर-1

400	0.048
401/1	0.049
401/2	0.020
396/2	0.020
396/4	0.032
395	0.093
394	0.065
387	0.032
386	0.057
381/2	0.081
380	0.069
377/3	0.069
376/1	0.069
376/4	0.040
432	0.101
438/1, 3, 5	0.053
439	0.073
योग	0.971

कटारी माइनर 4

(1)	(2)
1108	0.049
1107/1	0.020
1106	0.077
1105	0.049
1100/5	0.077
1100/1	0.004
1100/3	0.085
1100/2	0.012
1100/4	0.044
475/2, 3, 4	0.048
475/1	0.049
योग	0.514

प्रकरण क्रमांक 357/अ-82/02-03

ग्राम सकर्री, प. ह. नं. 7, तहसील-मालखरौदा

355/8	0.020
355/4	0.004
355/1	0.020
356	0.056
योग	0.109
कुल योग	0.623

ब्रांच माइनर 5

1324	0.016
886/8	0.49
886/2	0.036
894/1	0.053
894/3	0.125
905/1	0.057
905/2	0.012
907	0.036
910/2	0.049
910/1	0.069
906	0.004
908/3	0.004
909/1	0.065
849/1	0.049
849/2	0.040
850/2	0.077
850/1	0.004
851/2	0.012

(1)	(2)
851/4	0.053
851/3	0.045
855/1	0.004
854/1, 2, 3	0.069
831/1	0.024
830	0.028
858/1, 2	0.016
858/3	0.028
859/2	0.049
860	0.085
योग	1.158

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कटारी मायनर, ब्रांच मायनर 1, ब्रांच माइनर 4, ब्रांच माइनर 5.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 571/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-मालखरौदा
 (ग) नगर/ग्राम-सुलोनी, प. ह. नं. 2
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.248 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
827	0.080
829	0.218
837/2	0.036
838	0.056
836	0.024

(1)	(2)
833/1	0.044
809/2	0.113
810/1, 2	0.097
806	0.238
802/2	0.072
802/1	0.040
802/4	0.085
799/1, 2	0.101
856/1	0.016
780/1	0.016
830/2	0.012
योग	1.248

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कारीगाव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 572/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भठोरा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.291 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1009/1	0.154
1009/2	
1010/1	0.036
1012/3	0.069
1011	0.016
1010/2	0.016
योग	0.291

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सतगढ़ सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 573/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिकरीपार, प. ह. नं.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.263 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
231/3	
231/5	0.093
231/10	
231/2	0.040
231/4	0.004
235	0.061
236	0.004
238/1	
238/3	
238/4	0.061
238/9	
योग	0.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कटारी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 452/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नौरंगपुर, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.350 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
भोथीडीह माइनर-1	
(1)	(2)
206/1	0.057
207	0.138
277/1	0.065
277/2	0.020
276	0.032
274	0.040
275	0.040
260/2	0.065
258/2	0.040
257/5	0.162
256/2	0.077
304/2 ग	0.061
304/3	0.053
304/1	0.053
304/2 क	0.057
309/1	0.077
311	0.109
318	0.012
312	0.048
313	0.016
316	0.016
315	0.105
385/2	0.077
385/1	0.138
384	0.097
386/1, 2	0.020
809	0.057
810	0.020
811/7	0.065
811/5	0.004
812	0.150
828	0.061
827/4	0.045
827/3	0.020
827/2	0.069
831	0.028
870	0.166
869/3	0.004
777	0.002
871/2	0.081
871/1	0.008
773	0.008
772	0.061
770	0.040
769/3 ख	0.002
769/3 ग	0.057
872	0.125
योग	2.748
भोथीडीह माइनर-2	
206/1	0.065
205	0.028
204	0.036
200	0.024
201	0.036
196/4	0.077
योग	0.266
भोथीडीह माइनर-3	
763/2	0.004
764/3	0.130

(1)	(2)
769/2 ख	0.085
769/2 क	0.024
769/2 ग	0.008
872	0.085
योग	0.336

1.	2.748
2.	0.266
3.	0.336
योग	3.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—भागोडीह माइनर, ब्रांच माइनर 6 एवं 7.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 463/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-ज़ांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कलमी, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.560 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
448/4, 449/2	0.158
447/3, 448/5, 449/3	0.036
447/2, 448/3, 449/1	0.036
453/12	0.008
446/4	0.049
377/1 च	0.028
446/6	0.049
446/5	0.057
446/1	0.045
377/1 क	0.125
446/7	0.028
445	0.032
375/1	0.077
443/1	0..008
374/2, 376/2	0.105
377/1 ङ	0.032
413	0.065
380	0.069
381	0.061
382/3	0.049
384	0.016
382/4	0.040
383/2	0.028
383/3	0.008
383/1	0.089
358/1	0.036
357	0.089
355/2	0.008
355/1	0.077
351	0.040
352	0.012
योग	1.560

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सारसडोल मायनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 477/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की

धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-डोमा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.816 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
146/1	0.089
146/2	0.032
146/3	0.004
147/3	0.028
147/1	0.024
146/7	0.004
137/1	0.016
137/2	0.004
136/1	0.041
136/6	0.057
176/3	0.032
176/1	0.036
176/4	0.004
176/9	0.073
176/2	0.077
229	0.004
176/6	0.041
230/1	0.041
230/2	0.004
231	0.008
235	0.004
233	0.036
241	0.032
242	0.032
245/1	0.069
252	0.024
योग	0.816

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—डोमा सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 478/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सतगढ़, पं. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
692/2, 3	0.109
योग	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सतगढ़ सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 479/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-लिमतरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.075 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
803 804	0.113
799/1	0.071
799/2	0.020
797/1	0.014
798	0.093
793	0.018
794	0.034
792	0.036
791/4	0.069
791/5	0.070
791/2	0.101
822	0.030
823	0.057
826/1	0.073
826/2	0.005
828	0.117
908	0.018
914	0.020
888	0.039
889	0.032
890	0.032
891 913	0.002
992	0.010
851	0.001
योग	1.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—भागोडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 480/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-करीगांव, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.376 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1217/1	0.129
1216/2	0.020
1216/4	0.028
1216/3	0.097
1216/5	0.165
1217/2	0.174
1122 1223	0.048
1118	0.068
1126	0.028
1086	0.056
1117/5, 6 1089/1	0.068
1090	0.076
1091	0.125
1078/1 घ	0.068
1078/1 ग	0.032
1078/5	0.028
1078/2 क	0.064
1076 1077	0.198
1078/2 ख	0.072
972	0.004
973/1	0.093
973/2	0.117
970	0.056
969	0.080
980/1, 2	0.105
981	0.105

(1)	(2)
985	0.012
984	0.052
982	0.052
895	0.072
889/1	0.068
888/3	0.068
888/2	0.080
881/1	0.060
880/2	0.165
880/3	0.040
874/1	0.040
880/1	0.145
879/1	0.072
879/2	0.105
675/3	0.048
679	0.056
680	0.093
681	
977	0.044
योग	3.376

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—करीगांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 481/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-मालखरौदा
   (ग) नगर/ग्राम-पिहरीद, प. ह. नं. 4
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.650 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2048/1	0.016
2049/1	0.190
2049/2	0.012
2050	0.053
2053/1	0.036
2052/2	0.044
2103	0.069
2105/1	0.004
2107/2	0.020
2108	0.040
2109/2	0.081
2110/1	0.065
2099/2	0.004
2055	0.016
योग	0.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बड़े सीपत सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 482/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-मालखरौदा
   (ग) नगर/ग्राम-आमाडुला, प. ह. नं. 3
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.009 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91/1	0.056
91/2	0.040
98	0.064
97/2, 3	0.032
97/1	
99/2	0.048
99/7	
89/1	0.056
67/1	0.052
67/2	0.048
66	0.028
64/1, 2	0.089
56/1, 2, 3	0.060
36	0.008
55/1, 2	0.064
53/1, 2	0.060
1205/3	0.060
1209/1, 2, 3	0.024
1208/1 ख	0.056
1208/1 ग	0.036
1207	0.008
1206/2	0.040
1208/1 क	0.040
1206/1	0.040
योग	1.009

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—आमनदुला सब माइनर-3.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 483/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-खरताल, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.551 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
55/3	0.024
55/1	0.231
74/1	0.028
73/2	0.028
58/2	0.109
78	0.238
60	0.044
69/2	0.356
69/3	0.122
98/2	0.085
98/1	0.004
69/1	0.048
43	0.007
106	0.032
38/1	0.015
36/1	0.027
30/1	0.041
44/1, 2	0.011
44/3	
37	0.101
योग	1.551

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कुरदा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 484/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सोनादुला, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.101 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
910/1, 2	0.122
912/1, 4	0.068
915	0.076
951	0.105
956	0.028
949	0.048
948	0.064
945	0.076
946	
943/2	0.097
942	0.060
963	0.020
964	0.044
965/1	0.048
936	0.121
935	0.040
947	0.024
942/1	0.060
योग	1.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—करीगांव माइनर/कुरदा वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 485/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-औरदा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.566 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
140/1	0.020
140/2	0.040
140/3	0.040
194/1	0.061
194/2	0.049
190/3	0.036
195	
192/2	0.012
193/1	
191/2	0.020
190/1	0.069
190/2	0.097
189	0.036
197/1	0.012
197/2	0.081
206	0.008
197/3	0.016
204/2	0.064
205/1	
204/1	0.040
203	0.081
310	0.028
274	0.040
270/1	0.016

(1)	(2)
276	0.040
270/2	0.028
277	0.040
279	0.012
280	0.020
281/1	0.081
282/4	0.045
286/2	0.032
285/1	0.028
287	0.036
288	0.016
291	0.016
290	0.032
293/1	0.069
441	0.008
442	0.056
439	0.069
440	
436/2	0.028
433	0.028
275	0.016
योग	1.566

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—भागोडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 486/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-चंदेलाडीह, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.333 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
279	0.080
278/4	0.129
278/2	0.085
277/2	0.153
277/1	0.032
284/2	0.016
286/2	
287/1	0.109
287/2	0.064
294	0.206
184/1	0.052
185/1	0.012
184/2	0.101
182/1	0.016
181/2, 1	0.117
178	0.125
177/1, 2	0.105
176/1	0.198
175/174	0.137
173/1	0.072
109	0.028
110/2	0.020
111/1	0.105
93/2	0.198
931/4	
92/2	0.080
92/5	0.044
92/6, 8	0.040
92/4	0.068
34/1	0.178
34/6	0.072
34/3	0.012
35/1, 2	0.008
42/4	0.206
43/1	0.105
44/1	0.068
46	0.040

(1)	(2)
48	0.032
49/1	0.048
50	0.024
5	0.044
51/1	0.016
116	0.068
41	0.020
योग	3.333

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—करिगांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 490/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अमेराडीह, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.234 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
616	0.008
617/1	0.117
618/1	0.109
योग	0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—भूतहा ब्रांच सब माइनर-I.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 491/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छपोरा, प्र. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.930 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1082	0.016
1075	0.053
1071	0.024
1083/1	0.024
1084	0.004
1085	0.057
1066	
1067	0.004
1078	0.073
1077	0.004
1074/1	
1074/2	0.008
1074/3	
1073/1	0.206
1073/2	
1072	0.020
1070	0.024
1069/2, 4	0.016

(1)	(2)
1069/3, 5	0.012
1068/4	0.032
1068/3	0.041
857/3	0.077
857/4	0.122
858/1	0.069
857/2	0.004
856/2	0.036
855/1	0.004
योग	0.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—छपोरा सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 492/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छपोरा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.541 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
966	0.020
676	0.065
956	0:016
963/1	0.012.
962	0.239
675/2	0.097
675/1	0.016
675/4	0.024
675/3	0.040
674/2	0.040
673/1	0.061
673/3	0.016
673/2	0.032
703	0.045
702	0.008
704	0.085
710/1	0.057
710/3	0.057
709	0.065
705/1, 705/2	0.049
710/2	0.053
716/3	0.028
717/5, 718/1, 717/1	0.081
719/4	0.053
718/2	0:028
720	0.008
721/3	0.016
716/1	0.016
721/5	0.008
721/2	0.101

(1)	(2)
764	0.065
766/1	0.016
762	0.024
योग	1.541

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—अचरीतपाली सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 504/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डोगिया, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.328 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31	0.085
46	0.105
47	0.024
45	0.036
42	0.085
67/1	0.077
67/2	0.016
60/1	0.251
152	0.004
153/1	0.008
153/2	0.514
342	0.154
344	0.044
160	0.393
161/2	0.028
162	0.279
172/1	0.219
157/2	0.002
43/1	0.004
योग	2.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कटारी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.